करोना वायरस से होने वाले संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने लॉक डाउन जैसे मुश्किल फैसला लिया था| इससे संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियां बंद हो गई है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पूरे व्यापार जगत पर पड़ा है| इसी के मद्देनजर सभी ने आर्थिक पैकेज की मांग रखी थी| जिसे वर्तमान सरकार ने काफी सारी घोषणाएं करके पूर्ण भी किया है|

सीजीएसटी के रूल 36(4) को कुछ समय के लिए स्थगित करने की मांग भी की गई थी| रूल 36(4) के अंतर्गत क्रेडिट केवल उन्हीं इनवॉइस पर मिलती है जो कि GSTR-2A में आ रहे हैं| इस GSTR-2A में आई क्रेडिट के अलावा 10% क्रेडिट अलग से ली जा सकती है| इसका असर यह हुआ कि क्रेता को क्रेडिट कम मिलती थी जिसके कारण उसे जीएसटी का भुगतान नकद में करना पड़ता है| एक तरफ तो क्रेता ने विक्रेता को खरीदे हुए माल का मूल्य तथा जीएसटी चुका दिया और दूसरी तरफ उसकी क्रेडिट नहीं मिलने से उसे जीएसटी का नगद भुगतान भी करना पड़ रहा था| जिससे उसकी वर्किंग कैपिटल पर काफी असर पड़ रहा था| विक्रेता के GSTR-1 नियत समय पर नहीं भरने की भूल का खामियाजा विक्रेता को भरना पड़ रहा था| इस रूल को थोड़े दिन के लिए स्थगित करने की बात उठी व सरकार के पास इस तरह के बहुत सारे प्रतिवेदन भी भिजवाए गए|

हालांकि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की थी| पर फिर भी CBIC के अधिकारियों ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए नोटिफिकेशन नंबर ***30/2020-Central Tax dated 03.04.2020*** से रूल 36(4) में बदलाव करते हुए फरवरी माह से लेकर अगस्त माह तक के सारे क्रेडिट को एक साथ सितंबर माह तक लागू किया है | इसका असर यह होगा कि फरवरी से क्रेता पूर्ण संपूर्ण क्रेडिट ले सकेगा| सितंबर में पूर्ण क्रेडिट पर यह नियम लागू किया जाएगा| यह देखा जाएगा कि संपूर्ण क्रेडिटGSTR-2A में दर्शाई की क्रेडिट तथा उस पर 10% से ज्यादा क्रेडिट तो नहीं ली है| अगर क्रेडिट ज्यादा ले ली गई है तो उसे वापस जमा कराना पड़ेगा|इससे जो विक्रेता लॉक डाउन के कारण रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं उस पर विक्रेता ज्यादा दबाव नहीं बनाएगा तथा वह GSTR-1 रिटर्न लेट भरकर भी यह क्रेडिट विक्रेता के GSTR-2A में दिखा सकता है|

इस कदम का भी उद्योग व व्यापार समुदाय तहे दिल से सराहना करता है| इस मुश्किल समय में जब सभी अपने जीवन की परवाह करते हुए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी समय पर सरकारी अधिकारी पूरी मुस्तैदी से अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं| वह इस समय में

notification व circular जारी होना भी इसका साक्षात प्रमाण है| इसी क्रम में हम यह बात भी बताना चाहेंगे कि सरकारी विभाग की ओर से रिफंड लगाने वाले सभी टैक्स पेयर को तथा उनके C.A. को भी फोन किया जा रहा है तथा उनसे Show cause notice का जवाब लेकर रिफंड का भुगतान उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है| यह समय पर भुगतान इसलिए किया जा रहा है ताकि व्यापारी को यह पैसा अब मुश्किल घड़ी में काम आ सके| इन सभी कर्मठ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है |

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.